



2026:AHC:36369

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 6503/2026

मनीषा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : चन्द्र प्रकाश कुरील, सर्वेश कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विधिक सलाहकार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहां पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस देकर तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित/पीड़ित होता/होती है तो उसका/उसके आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता के विधिक सलाहकार द्वारा यह तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3/उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया के समक्ष आदेश दिनांक 16.05.2016 के अनुपालन के लिए दिनांक 01.11.2025 का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त आदेश की पुष्टि पहले ही प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन) आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2025 के माध्यम से की जा चुकी है। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज तक, उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका का निपटारा याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 3/उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए किया जाता है। यदि, याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 मामले में शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेगा।

18 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”